उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय परियोजनाएं

1020. **कुमारी कमला कुमारी :**
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अब तक कोई विशेष परियोजना स्थापित नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य की जनसंख्या तथा गिर रही प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए वहां पर अणु बिजलीघर स्थापित करने का है जिससे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश में अब तक चार बड़ी केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। वे ये हैं : डीजल लोको फैक्ट्री, वाराणसी, गोरखपुर, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फैक्टरी, हरिद्वार तथा ऐन्टीबियाटिक्स प्लांट, ऋषीकेश। इसके अतिरिक्त नैनी में एक हैवी स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) नये आणविक बिजलीघरों की स्थापना करने अथवा विद्यमान बिजलीघरों का विस्तार करने के बारे में तभी विचार किया जा सकेगा जबकि जो बिजलीघर बन रहे हैं उनमें उत्पादन शुरू हो जायेगा और उनकी अर्थव्यवस्था तथा अन्य सम्बद्ध बातों का अध्ययन कर लिया जायेगा।

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

1021. **कुमारी कमला कुमारी :**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन के हजारों कर्मचारियों में प्रबन्धकों तथा उसके अध्यक्ष द्वारा हिंदू तथा मुसलिम कर्मचारियों को अलग-अलग बस्तियों में बसाने की साम्प्रदायिक नीति के विरुद्ध प्रदर्शन किया ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 25, 27 और 29 नवम्बर, 1968 को हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के लगभग 300-400 कर्मचारियों ने कारपोरेशन के प्रबन्धक-वर्ग के मुसलमान कर्मचारियों के जो शिल्पकार छात्रावास में रह रहे थे, कारपोरेशन की बस्ती के निर्दिष्ट क्षेत्रों में बसाये जाने पर प्रबन्धकों के विरुद्ध प्रदर्शन किए थे।

(ख) इस बारे में 2 दिसम्बर, 1968 को राज्य-सभा में औद्योगिक विकास और समवाय-कार्य मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की प्रति संलग्न है।

विवरण

अगस्त, 1967 की घटनाओं के पश्चात् हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के मुसलमान कर्मचारियों को "आर्टिजन होस्टल" नामक इमारत में स्थानान्तरित कर दिया गया था, वे तभी से इस इमारत में, जहां कि रहने की

जगह कम और स्वास्थ्यप्रद नहीं है, रह रहे हैं। उनमें अधिकांश परिवार एक-एक कमरे में रहते हैं। इनमें से बहुत से कर्मचारियों ने अपने परिवारों को घर भेज दिया है। ये औद्योगिक कर्मचारी जो अलग रह रहे थे उनके इस एक स्थान पर एकत्रित हो जाने से अवांछनीय परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। हैवी इंजीनियरिंग निगम के अध्यक्ष ने मुस्लिम कर्मचारियों से अपने क्वार्टरों में वापस आने का आग्रह करने की दृष्टि से अनेक बार परामर्श किया है। मुस्लिम कर्मचारियों ने अभ्यावेदन दिया है कि अपने क्वार्टरों में वापस आने में वे स्वयं को अभी इतना सुरक्षित नहीं समझते हैं क्योंकि काम के समय में कारखाने में उपस्थित रहने पर वे अपने बीवी-बच्चों को घर पर छोड़ सकें। स्थान सीमित होने के कारण, आर्टिजन होस्टल में मुसलमान कर्मचारी और उनके परिवारों को आवास देना सम्भव नहीं है।

साम्प्रदायिक झगड़ों से पूर्व अधिकांश मुस्लिम कर्मचारी सेक्टर II के साईट W में रहते थे। हैवी इंजीनियरिंग निगम के प्रबन्धकों ने 100 मुस्लिम कर्मचारियों को इस स्थान पर भेजने का सुझाव दिया था क्योंकि इस सेक्टर में लगभग 40 घर गत वर्ष मुस्लिम कर्मचारियों ने खाली किए थे। यदि हिन्दू निवासी 50 या 60 अतिरिक्त घरों को इस क्षेत्र में खाली कर देते तो प्रबन्धक मुस्लिम कर्मचारियों के एक समूह को इस क्षेत्र में बसाने का प्रबन्ध करते। तदनुसार प्रबन्धकों ने इस क्षेत्र के निवासियों के नाम एक सार्वजनिक निवेदन निकाला था और उसमें यह प्रस्ताव पास किया था कि जो कोई स्वेच्छा से अपने मकान खाली करेंगे उन्हें दूसरा मकान प्रदान किया जाएगा। और जो कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं उनसे निवेदन किया गया था कि वे नगर के प्रशासनिक प्राधिकारी को सूचित करें ताकि वे इस सम्बन्ध में उचित प्रबन्ध कर सकें। यह कहना ठीक नहीं कि उन्हें मकान खाली करने के लिए डराया-धमकाया गया था या उन्हें वहां से चले जाने के लिए विवश करने के लिए कभी सोचा भी गया था या उस पर अमल किया गया था। तो भी राजनैतिक लोगों द्वारा उकसाए हुए लोगों के कुछ समूह ने हैवी इंजीनियरिंग निगम के कैम्पस में प्रवेश कर प्रतिदिन सभायें कीं और गलत अफवाहें फैलायीं कि सैक्टर II के साईट V के हिन्दू निवासियों को मुस्लिम लोगों के लिए जगह खाली करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। स्पष्टतः यह साम्प्रदायिक भावना को उकसाने के लिए किया गया था। इस स्थान को चयन करने का लाभ यह था कि 3 दर्जन मकान जिनमें पहले मुस्लिम वर्ग के लोग रहते थे पहले ही खाली हैं यदि अन्य 60 मकान और उपलब्ध हो जाते हैं तो समस्या बहुत अंशों तक सुलझ जाती है। स्थानांतरण की इस योजना पर विचार-विमर्श किया गया था और सभी ट्रेड यूनियनों ने, जिसमें श्रमिक संघ भी सम्मिलित है, इसे सामान्यतः मान लिया था।

यह सभी कार्य शांतिपूर्वक चल रहा था और आशा थी कि सहकर्मी मुस्लिम साथियों के बसाने के लिए स्वेच्छा से कुछ मकान खाली हो जायेंगे। साईट V में तीन दर्जन से अधिक आवासियों ने मुस्लिम साथियों के आवास के लिए मकान खाली करने के लिए लिखकर भी दे दिया था। अकस्मात् कुछ राजनीति से प्रेरित लोगों ने कैम्प नं० 5 के लोगों पर दबाव डालने और उन्हें भयभीत करने का अभियान प्रारम्भ किया। कुछ राजनीतिक दलों और शहर से आए कार्यकर्ताओं ने कैम्प नं० 5 में आकर वहाँ के रजामन्द कर्मचारियों को वहाँ से जाने से रोकने के लिए सभाओं का आयोजन किया, यद्यपि वहां पर धारा 144 लागू थी। अनुशासनहीनता की कुछ कार्यवाहियां भी दृष्टिगत हुईं और लगभग 80 कर्मचारी बिना छुट्टी लिए ही कर्मशाला से

अनुपस्थित हो गए। जब उनको अनुशासनात्मक कार्यवाही का ज्ञान कराया गया तो वे भी उस दबाव डालने के अभियान में सम्मिलित हो गए। यदि एक विशिष्ट राजनीतिक दल के कार्यकर्ता शहर से आकर अन्यत्र जाने के लिए राजी कर्मचारियों के विधिवत तथा शांतिपूर्ण रूप से हटाए जाने के काम में हस्तक्षेप न करते तो यह योजना सफल रहती। बस्ती से बाहर के लोग हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की बस्ती में लगातार आते रहे और उन्होंने धारा 144 के उल्लंघन का वातावरण बनाया और उन्होंने कारपोरेशन के एक अधिकारी को सम्बंधित व्यक्तियों को स्थिति के स्पष्टीकरण से रोका।

प्रबंधकों की योजना के अंतर्गत मुसलमानों की आबादी के एक ही स्थान में जमाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा था तो राजनीति से प्रेरित व्यक्तियों ने यह अफवाह फैला दी कि समूचे सैक्टर २ को अधिकारियों द्वारा बलात् खाली करवाया जा रहा है और नया निर्माण किया जा रहा है तथा सभी मुस्लिम कर्मचारियों को एक ही स्थान में फिर बसाया जा रहा है और उन्हें विशाल रांची शहर में अन्य मुसलमानों से सम्पर्क स्थापित करने की सुविधायें भी प्रदान की जा रही हैं। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के प्रबन्धकों की योजना केवल इतनी थी कि मुस्लिम कर्मचारियों को बस्ती के कई हिस्सों में बसाया जाय जिससे कि उनमें मेलजोल की भावना तथा सुरक्षा की भावना का निर्माण हो।

हाल ही में कारपोरेशन के प्रबन्धकों ने विभिन्न सैक्टरों में अतिरिक्त मकान निर्माण करने का निश्चय किया है ताकि इन कर्मचारियों का पुनर्वास किया जाये। इस काम के लिए चालू वर्ष में 20 लाख रुपये व्यय करने का विचार है।

जान-बूझकर ऐसे संशय का निर्माण किया गया कि प्रबन्धक विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में हिन्दू कर्मचारियों पर अपने वर्तमान स्थान से निकलने के लिए दबाव डाल रहे हैं ताकि इस प्रकार खाली किए जाने वाले मकानों का आवन्टन मुस्लिम कर्मचारियों को किया जाए। प्रबन्धकों ने इस विषय में सार्वजनिक घोषणा की है। वास्तव में प्रयास तो यह किया गया है कि मुस्लिम कर्मचारियों के एक ही स्थान पर अर्थात् आर्टीजन होस्टल में वर्तमान जमाव को तोड़ा जाय और उन्हें बस्ती के विभिन्न हिस्सों में बाँटा जाय ताकि एक तरफ तो उनके एक ही स्थान पर जमाव को रोका जा सके और दूसरी ओर उनमें सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सके। इस प्रयत्नों में अनुरोध से काम लिया गया और स्वेच्छा से ही अन्यत्र चले जाने के निवेदन के आधार पर ही सारी कार्यवाही की गई है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड

1022. **कुमारी कमला कुमारी :**
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री वेंगलराया नायडू :
श्री ओम प्रकाश शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इन्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी के अंशधारियों ने प्रबन्धकों द्वारा करोड़ों रुपयों का दुर्विनियोग किये जाने के विरुद्ध सरकार से शिकायत की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अंशधारी उनकी शिकायत के प्रति सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये को देखते हुए कम्पनी के विरुद्ध मुकदमा करने वाले हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या कम्पनी के कार्य की जाँच के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और